संख्या-10/2021/66/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-कानपुर देहात में नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2347-48/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (422)/सरवनखेड़ा कानपुर/2020-21, दिनांक-05.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद-कानपुर देहात में नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-234/2019/3097/26-3-2019, दिनांक-01.11.2019 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सरवन खेड़ा, कानपुर देहात के भवन निर्माण हेतु आगणित धनराशि रू0-2415.716 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सरवन खेड़ा, कानपुर देहात के भवन निर्माण हेतु आगणित लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0-362.35 लाख (रू0-तीन करोड़ बासठ लाख पैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- योजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(5)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(8)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीकृत बैंक में ही जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त धनराशि पर यदि कोई ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(11)- धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(12)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020 तथा 18 मई, 2020 एवं 29 सितम्बर 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13)- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस- 2014-10/77, दिनांक-26.08.2014 एवं शासनादेश दिनांक-15.06.2019 एवं दिनांक- 23.07.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14)- उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(15)- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक की सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(16)- प्रश्ननगत कार्यों में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

पृसं0-10/2021/66 (1)/26-3-2021 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमपेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in